संख्या:10/2025/272ई-2/तेरह-2025-1891832

प्रेषक,

दुर्गा सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 **लखनऊः दिनांकः 18 फरवरी, 2025**

विषयः- मेसर्स पीच (ए यूनिट ऑफ तनुक हॉस्पिटेलिटी प्रा.लि.) पंजीकृत कार्यालय यूनिट नं.-2 तृतीय तल, प्लाट नं.-सी-2, सुपरटेक ई स्क्वायर, सेक्टर-96, नोएडा, गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश, 201303 द्वारा संचालित रेस्टोरेंट "पीच (ए यूनिट ऑफ तनुक हॉस्पिटेलिटी प्रा.लि.) यूनिट नं.-2 तृतीय तल, प्लाट नं.-सी-2, सुपरटेक ई स्क्वायर, सेक्टर-96, नोएडा, गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश, 201303 माइक्रो ब्रिवरी स्थापना हेतु एम.बी.-5 अनुज्ञापन निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्याःजी.-113/दो-प्रा.एम.बी.(35)/लघु यवासवनी, दिनांक 16-01-2025 एवं पत्र संख्याःजी.-118/दो-प्रा.एम.बी.(35)/लघु यवासवनी, दिनांक 07-02-2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त सन्दर्भित पत्रों दिनांक 16-01-2025 एवं 07-02-2025 में की गयी संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य के राजस्व एवं औद्योगिक हित तथा निवेश एवं रोजगार संवर्धन के दृष्टिगत मेसर्स पीच (ए यूनिट ऑफ तनुक हॉस्पिटेलिटी प्रा.लि.) पंजीकृत कार्यालय यूनिट नं.-2 तृतीय तल, प्लाट नं.-सी-2, सुपरटेक ई स्क्वायर, सेक्टर-96, नोएडा, गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश, 201303 द्वारा संचालित रेस्टोरेंट "पीच (ए यूनिट ऑफ तनुक हॉस्पिटेलिटी प्रा.लि.) यूनिट नं.-2 तृतीय तल, प्लाट नं.-सी-2, सुपरटेक ई स्क्वायर, सेक्टर-96, नोएडा, गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश, 201303 को 76.19 (छिहत्तर दशमलव एक नौ) लीटर प्रतिदिन अर्थात वर्ष में 350 कार्यदिवस के आधार पर 26,666.5 (छब्बीस हजार छः सौ छाछठ दशमलव पांच) लीटर वार्षिक ड्राट बियर उत्पादन किये जाने के लिये माइक्रो ब्रिवरी की स्थापना हेतु एम.बी.-5 अनुज्ञापन स्वीकृत किये जाने

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

की अनुमति निम्नलिखित नियमों एवं शर्तों के अधीन प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

(1) इकाई द्वारा उत्तर प्रदेश यवासवनी नियमावली, 1961 (यथासंशोधित) में उल्लिखित नियमों एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) इकाई द्वारा उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जल एवं वायु हेतु निर्गत कन्सेन्ट टू आपरेट प्रमाण पत्र दिनांक 19-12-2024 में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।

(3) इकाई द्वारा भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन किया जायेगा।

(4) इकाई द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार एवं आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये गये मानको एवं गाईडलाइन का अनुपालन किया जायेगा।

(5) उक्त के अतिरिक्त इकाई द्वारा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (जी.एम.पी.) तथा भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.) द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) आबकारी आयुक्त द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इकाई पर अद्यतन कोई आबकारी राजस्व बकाया नहीं है।

(7) आबकारी आयुक्त द्वारा इस संदर्भ में लागू अन्य समस्त सुसंगत नियमों/नियमावलियों व शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

तद्नुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(दुर्गा सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।